

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

आदेश संख्या 17/2025-26

ऐरा कार्यालय,
तृतीय तल, उड़ान भवन
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली- 110003

जारी करने की तारीख: 19.09.2025

सेवा	:	कार्गो हैंडलिंग सेवाएं(सीएचएस)
सेवा प्रदाता	:	मैसर्स एयर इंडिया सेट्स एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
हवाईअड्डा	:	स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, रायपुर

विषय: मैसर्स एयर इंडिया सेट्स एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के लिए स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, रायपुर में कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सी.ओ.डी.) से 31.03.2026 तक तदर्थ टैरिफ निर्धारित करने के मामले में।

सेवा प्रदाता की प्रस्तुति:

- मैसर्स एआईएसएटीएस ने दिनांक 23.05.2024 के पत्र संख्या 2024/आरपीआर/डीओएम-कार्गो/ऐरा/001 के माध्यम से सूचित किया कि वे सफल बोलीदाता के रूप में उभरे हैं और उन्होंने रायपुर हवाईअड्डे पर अंतर्देशीय कार्गो टर्मिनल के प्रचालन और प्रबंधन हेतु पंद्रह वर्ष की अवधि के लिए 26.08.2023 को एआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (एआईसीएलएस) के साथ करार किया है। मैसर्स एआईएसएटीएस ने आगे बताया कि वे रियायत करार की अपेक्षा के अनुसार, स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, रायपुर में एक विनियमित एजेंट के रूप में अंतर्देशीय कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एक विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) को सम्मिलित करेंगे।

2. तत्पश्चात, मैसर्स एयर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एआईएसएटीएस) ने दिनांक 04.08.2025 की ईमेल द्वारा सूचित किया कि उन्हें रायपुर हवाईअड्डे पर अपनी प्रस्तावित कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए बीसीएस से आरए अनुमोदन प्राप्त हो गया है। आईएसपी ने प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि वह इनके प्रस्तावित कार्गो प्रचालनों के संबंध में टैरिफ को यथाशीघ्र अनुमोदित करें ताकि वे रायपुर हवाईअड्डे पर प्रचालन शुरू कर सकें।
3. मैसर्स एआईएसएटीएस ने 10.09.2025 की ईमेल के माध्यम से बताया कि रायपुर हवाईअड्डे पर अंतर्देशीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में एआईएसएटीएस के नाम पर तदर्थ टैरिफ को मंजूरी दी जाए, ताकि वे रायपुर हवाईअड्डे पर कार्गो हैंडलिंग सेवाएं शुरू कर सकें, जब तक कि एसपीवी एक विनियमित एजेंट के रूप में काम करना शुरू नहीं कर देता।

मैसर्स एआई सैट्स की प्रस्तुति की प्राधिकरण द्वारा जांच:

4. प्राधिकरण ने नोट किया है कि रायपुर हवाईअड्डे पर अंतर्देशीय कार्गो टर्मिनल के प्रचालन और प्रबंधन हेतु कार्गो टर्मिनल ऑपरेटर के चयन हेतु एएआईसीएलएस द्वारा की गई निविदा प्रक्रिया में एआईसीएलएस एक सफल बोलीदाता के रूप में उभरा है। निविदा दस्तावेज के अनुसार, सफल बोलीदाता (मैसर्स एयर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) को स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, रायपुर में अंतर्देशीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के प्रावधान हेतु एक विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) का गठन करना है। तदनुसार, एआई सैट्स ने 'एआई सैट्स रायपुर कार्गो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड' नामक एसपीवी का गठन कर लिया है।
5. यह नोट किया जाता है कि एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (एएआईसीएलएस) और सफल बोलीदाता (मैसर्स एयर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) के बीच 26.08.2023 को रायपुर हवाईअड्डे पर अंतर्देशीय कार्गो टर्मिनल के प्रचालन और प्रबंधन (ओ एंड एम) के लिए 15 वर्ष की अवधि के लिए एक करार निष्पादित किया गया था।
6. आईएसपी ने वित्त वर्ष 2026-27 तक की अवधि के लिए एएआई के गैर-प्रमुख हवाईअड्डों पर एएआईसीएलएस के लिए लागू कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए प्रभारों के आधार पर अंतरिम टैरिफ की मांग की है।

7. प्राधिकरण ने एआई सैट्स की प्रस्तुति से नोट किया है कि बीसीएएस ने दिनांक 04.08.2025 के पत्र द्वारा मैसर्स एआई सैट्स को रायपुर हवाईअड्डे पर अंतर्देशीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में 'विनियमित एजेंट' के रूप में कार्य करने हेतु अनुमोदन प्रदान कर दिया है। तदनुसार, आईएसपी ने दिनांक 10.09.2025 की ईमेल द्वारा ऐरा से एयर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रायपुर अंतर्देशीय कार्गो के लिए तदर्थ टैरिफ का प्रावधान प्रदान करने का अनुरोध किया (जब तक कि एसपीवी संबंधित प्राधिकरण से आरए अनुमोदन प्राप्त नहीं कर लेता)।

इस संबंध में, रियायती प्राधिकरण, एएआईसीएलएएस ने भी दिनांक 16.09.2025 के पत्र संख्या एएआईसीएलएएस/कार्गो/ओ एंड एम/रायपुर/2025-26 (एएआईसीएलएएस की दिनांक 16.09.2025 की ईमेल से प्राप्त) के माध्यम से एआई सैट्स के नाम पर तदर्थ टैरिफ जारी करने के लिए अपनी सहमति दे दी है, क्योंकि उक्त एसपीवी को कार्गो हैंडलिंग सेवाओं को चालू करने में कुछ समय लगेगा।

8. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, एआई सैट्स रायपुर कार्गो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एसपीवी) को आवश्यक विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने और नियमित टैरिफ निर्धारित करने के लिए कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में एमवाईटीपी प्रस्तुत करने में कुछ समय लगेगा। इसलिए, इस बीच, एआई सैट्स को रायपुर हवाईअड्डे पर वाणिज्यिक प्रचालन शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए, ऐरा ने एआई सैट्स के लिए अंतर्देशीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में एक तदर्थ टैरिफ मानने का निर्णय लिया है, जब तक कि एसपीवी कार्यात्मक नहीं हो जाता और रायपुर हवाईअड्डे पर कार्गो हैंडलिंग प्रचालन शुरू नहीं कर देता।

9. प्राधिकरण ने सामान्यतः समान/तुलनीय हवाईअड्डों पर अन्य कार्गो टर्मिनल प्रचालकों के लिए अनुमोदित प्रभारों के आधार पर कार्गो टर्मिनल प्रचालक को तदर्थ टैरिफ देने का दृष्टिकोण अपनाया है। इसी तर्ज पर, प्राधिकरण ने अन्य हवाईअड्डों अर्थात इंदौर, कोयंबटूर और पोर्ट ब्लेयर हवाईअड्डों पर अंतर्देशीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए एएआईसीएलएएस के लिए लागू प्रभारों के आधार पर एआई सैट्स, रायपुर के लिए तदर्थ टैरिफ मान ली है, जो कि ऐरा द्वारा पूर्व में दिनांक 22.11.2024 के आदेश संख्या 14/2024-25 के तहत अनुमोदित की गई थी (जो एएआई के गैर-प्रमुख हवाईअड्डों पर एएआईसीएलएएस के लिए लागू टैरिफ पर आधारित थे)। इसे अनुलग्नक-I में दिया गया है और एआई सैट्स द्वारा अंतर्देशीय कार्गो हैंडलिंग प्रचालन शुरू करने की तारीख से 31.03.2026 तक प्रभावी है।

10. आदेश

सेवा प्रदाता मैसर्स एआई सैट्स द्वारा उपर्युक्त पैरा 1,2 और 3 में की गई प्रस्तुति, रियायती प्राधिकरण अर्थात मैसर्स एएआईसीएलएएस की दिनांक 16.09.2025 के उसके पत्र संख्या एएआईसीएलएएस/कार्गो/ओ एंड एम/रायपुर/2025-26 के माध्यम से प्राप्त उनकी सिफारिश और रिकार्डों में उपलब्ध तात्त्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1)(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा आदेश देता है कि:

- (i) मैसर्स एयर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एआईसैट्स) को स्वामी विवेकानन्द अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, रायपुर में अपनी अंतर्देशीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए सीओडी से 31.03.2026 तक तदर्थ आधार पर अनुलग्नक-I में बताए अनुसार टैरिफ लगाने और एकत्र करने की अनुमति दी जाती है।
- (ii) आदेश संख्या 17/2025-26

- (iii) ऊपर बताए अनुसार अनुमोदित टैरिफ प्रयोक्ताओं पर लगाए जाने वाले अधिकतम प्रभार होंगे। अनुमोदित टैरिफ के अतिरिक्त कोई अन्य शुल्क नहीं लगाया जाएगा।
- (iv) इसमें अनुमोदित टैरिफ में लागू सरकारी कर, यदि कोई हों, शामिल नहीं हैं।
- (v) हवाईअड्डा प्रचालक, रायपुर हवाईअड्डे पर मैसर्स एआई सैट्स के संबंध में इस आदेश के अनुसार कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में तदर्थ टैरिफ को सभी हितधारकों की जानकारी के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।
- (vi) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(मुयश नारायण)

सचिव

सेवा में,

श्री कल्पेश कुमार सिंह,
प्रमुख - व्यवसाय संवृद्धि एवं विकास,
मैसर्स एयर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एआईसैट्स),
निगमित मुख्यालय:
16वीं मंजिल, कॉर्मर्स 2, इंटरनेशनल बिजनेस पार्क, ओबेरॉय गार्डन सिटी,
वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास, गोरेगांव पूर्व, मुंबई – 400063, भारत।

प्रतिलिपि सूचनार्थः

- 1) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003
- 2) सीईओ, मैसर्स एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड, एआईसीएलएएस कॉम्प्लेक्स, दिल्ली फ्लाइंग क्लब रोड, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली – 110003
- 3) हवाईअड्डा निदेशक, स्वामी विवेकानन्द अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, रायपुर। अटल नगर-नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ -492015.

